

संवधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचति जनजातियाँ आदेश (संशोधन) वधियक, 2024

प्रलिम्स के लयि:

संवधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचति जनजातियाँ आदेश (संशोधन) वधियक, 2024, [अन्य पछिडा वरग \(OBC\)](#), [नगर नकिय](#)

मेन्स के लयि:

संवधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचति जनजातियाँ आदेश (संशोधन) वधियक, 2024, अनुसूचति जनजातियाँ सूची में शामिल करने की प्रक्रिया और मानदंड

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

चर्चा में क्यो?

हाल ही में लोकसभा ने **संवधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचति जनजातियाँ आदेश (संशोधन) वधियक, 2024** पारति कया जिसका उद्देश्य जम्मू-कश्मीर के वशिष्ट जातीय समूहों तथा जनजातियाँ को [अनुसूचति जनजातियाँ](#) की सूची में शामिल करना है।

- केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर की पंचायतों तथा [नगर नकियाँ](#) में [अन्य पछिडा वरग \(OBC\)](#) को आरक्षण प्रदान करने के लयि **जम्मू-कश्मीर स्थानीय नकिय कानून (संशोधन) वधियक, 2024** भी पेश कया।

संवधान (जम्मू-कश्मीर) अनुसूचति जनजातियाँ आदेश (संशोधन) वधियक, 2024 क्या है?

परचिय:

- इस वधियक का उद्देश्य वशिष्ट रूप से [अनुसूचति जनजातियाँ \(ST\)](#) की सूची जम्मू-कश्मीर की **चार जातीय समूहों** को शामिल करना है।
- अनुसूचति जनजातियाँ की सूची में गड्डा ब्राह्मण, कोली, पददारी जनजातियाँ तथा पहाड़ी जातीय समूह जैसे **जातीय समूहों** को शामिल कया जाएगा।
- इन समुदायों को अनुसूचति जनजातिका दर्जा प्रदान कर यह वधियक उनके **सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण** को सुनिश्चित करेगा।

महत्त्व:

- इस वधियक में यह सुनिश्चित कया गया कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचति जनजातियाँ की सूची में इन समुदायों को शामिल करने तथा उन्हें आरक्षण प्रदान करने के दौरान **गुज्जर और बकरवाल** जैसे मौजूदा अनुसूचति जनजातियाँ समुदायों को उपलब्ध आरक्षण के वर्तमान स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
 - गुज्जर और बकरवाल **खानाबदोश** समूह हैं तथा वे **गर्मियों में अपने पशुओं के साथ ऊँचाई वाले इलाकों की ओर चले जाते हैं** एवं सर्दी के आगमन से पहले अपनी वापसी सुनिश्चित करते हैं।
- इस वधियक को जम्मू-कश्मीर में समावेशी विकास की दशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो **"सबका साथ, सबका विश्वास"** मूलमंत्र के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग एवं समुदाय के सर्वसमावेशी विकास के प्रतिकटबिद्ध है।

पहाड़ियों की प्रारंभिक स्थिति:

- वर्ष 2019 में पहाड़ियों को **रोज़गार** तथा शैक्षणिक संस्थानों में **4% आरक्षण** प्रदान कया गया।
- इसके अतिरिक्त वर्ष 2019 में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पछिड़े समूहों की पहचान करने के लयि **2019-2020** गठित कया गया था।
 - इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में **गददा ब्राह्मणों, कोलियों, पददारी जनजातियाँ और पहाड़ी जातीय समूह** को अनुसूचति जनजातिका दर्जा प्रदान करने की अनुशंसा की।

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) अधिनियम, 2024 से संबंधित प्रमुख बंदिया क्या हैं?

- **कुछ प्रावधानों में संशोधन:** अधिनियम का उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकायों (पंचायतों और नगर पालिकाओं) में **OBC** को आरक्षण प्रदान करने के लिये जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 तथा जम्मू-कश्मीर नगर नगिम अधिनियम, 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना है।
- **संवैधानिक प्रावधानों के साथ संरेखण:** प्रस्तावित संशोधन संविधान के प्रावधानों, विशेष रूप से भाग IX और भाग IXA, जो पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंधित हैं, के साथ कानूनों में स्थिरता लाने का प्रयास करते हैं।
 - इसमें संविधान के अनुच्छेद 243D और 243T के खंड (6) द्वारा सशक्त, पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में नागरिकों के पछिड़े वर्गों के लिये आरक्षण प्रदान करना शामिल है।
- **चुनाव का पर्यवेक्षण:** अधिनियम मतदाता सूची की तैयारी और पंचायतों तथा नगर पालिकाओं के चुनावों के संचालन के अधीक्षण, नरिदेशन एवं नयितरण के संबंध में वसिगतियों को संबोधित करता है।
 - यह सुनिश्चित करता है कि **राज्य नरिवाचन आयोग** से संबंधित प्रावधान संविधान, विशेष रूप से अनुच्छेद 243K और 243ZA के अनुरूप हैं।
- **राज्य नरिवाचन आयुक्त को हटाना:** अधिनियम का उद्देश्य राज्य नरिवाचन आयुक्त को हटाने के संबंध में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 और संविधान के प्रावधानों के बीच अंतर को सुधारना है।
 - इसका उद्देश्य नषिकासन प्रक्रिया को **संवैधानिक प्रावधानों के साथ संरेखित करना** साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि राज्य नरिवाचन आयुक्त (State Election Commissioner) को **केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान** परिस्थितियों में ही हटाया जा सकता है।

भारत में जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान और पहल क्या हैं?

- **संवैधानिक प्रावधान:**
 - वर्ष 1931 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजातियों को 'बहरिवेशति' और 'आंशिक रूप से बहषिकृत' कषेत्रों में 'पछिड़ी जनजातियों' के रूप में जाना जाता है। वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार 'पछिड़ी जनजातियों' के प्रतिनिधियों को प्रांतीय विधानसभाओं में आमंत्रित किया गया।
 - संविधान अनुसूचित जनजातियों की मान्यता के मानदंडों को परिभाषित नहीं करता है और इसलिये वर्ष 1931 की जनगणना में नहित परिभाषा का उपयोग स्वतंत्रता के बाद के आरंभिक वर्षों में किया गया था।
 - हालाँकि संविधान का अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करने के लिये प्रक्रिया नरिधारित करता है: "अनुसूचित जनजातियों का अर्थ ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के अंदर कुछ वर्गों या समूहों से है, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिये अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजात माना जाता है।"
 - अनुच्छेद 342(1): राष्ट्रपति, राज्यपाल से परामर्श करने तथा जनता के लिये एक अधिसूचना प्रकाशित करने के बाद किसी भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के संबंध में कुछ जनजातियों, आदिवासी समुदायों अथवा जनजातियों या आदिवासी समुदायों के कुछ हिससों या समूहों को अनुसूचित जनजात के रूप में नामित कर सकते हैं।
 - संविधान की पाँचवी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित कषेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नयितरण के लिये प्रावधान करती है।
 - छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मजोरम में जनजातीय कषेत्रों के प्रशासन से संबंधित है।
- **कानूनी प्रावधान:**
 - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
 - पंचायत उपबंध (अनुसूचित कषेत्रों तक वसितार) अधिनियम, 1996
 - अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006
 - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955:
 - यह अस्पृश्यता के प्रचार एवं आचरण के साथ-साथ उससे संबंधित किसी भी मुद्दे और किसी भी परिणामी विकलांगता को लागू करने के लिये दंड का प्रावधान करता है।
- **संबंधित पहल:**
 - ट्राइफेड
 - जनजातीय सकूलों का डिजिटल परिवर्तन
 - विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों का विकास
 - प्रधानमंत्री वन धन योजना
- **संबंधित समितियाँ:**
 - शाशा समिति (2013)
 - भूरिया आयोग (2002-2004): इसने अधिक आदिवासी समुदायों को ST के रूप में मान्यता देने की सफारिश की, जिससे इन हाशिये पर रहने वाले समूहों को वभिनिन लाभ और सुरक्षा प्रदान की गई।
 - लोकुर समिति (1965): इसकी सफारिशों में आदिवासी भूमि अधिकारों की सुरक्षा, ST समुदायों के लिये शक्ति, स्वास्थ्य देखभाल एवं रोजगार के अवसरों तक पहुँच में सुधार के साथ ही उनकी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये आदिवासी कल्याण योजनाओं में वृद्धि के उपाय शामिल थे।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. यद किस्सी वशिषिट क्षेत्र को भारत के संवधिान की पाँचवी अनुसूची के अधीन लाया जाए, तो नमिनलखिति कथनों में कौन-सा एक कथन इसके परणिाम को सर्वोत्तम रूप से दरशाता है? (2022)

- (a) इससे जनजातीय लोगों की ज़मीनें गैर-जनजातीय लोगों के अंतरति करने पर रोक लगेगी ।
- (b) इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा ।
- (c) इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा ।
- (d) जसि राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे, उसे वशिष कोटिका राज्य घोषति कया जाएगा क्षेत्रों वाले राज्य को वशिष श्रेणी का राज्य घोषति कया जाएगा ।

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के संवधिान की कसि अनुसूची के तहत खनन के लयि नजिी पार्टयिों को आदवासी भूमिके हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषति कया जा सकता है? (2019)

- (a) तीसरी अनुसूची
- (b) पाँचवी अनुसूची
- (c) नौवी अनुसूची
- (d) बारहवी अनुसूची

उत्तर: (b)

??????????:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचति जनजातयिों (एसटी) के प्रतिभेदभाव को दूर करने के लयि, राज्य द्वारा की गई दो प्रमुख वधिकि पहलें क्या हैं? (2017)